

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
130/2020

तारीख दायर
02-09-2020

तारीख फैसला
13/06/2022

उनवान

01. दयाराम पुत्र श्री लक्ष्मण निवासी ग्राम ईशरोदा जाति अहीर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

—:: वादी

बनाम

01. राजू पुत्र बसन्ता
02. मन्जू
03. सुमन
04. कविता पुत्रीयान बसन्ता
05. कमला पत्नी बसन्ता
06. कृष्णा पत्नी सत्यवान
07. धनकोर पत्नी परसराम
08. सत्यवान
09. परसराम पुत्रान कुडियाराम
10. मांगेलाल
11. झूथर
12. गंगासिंह पुत्रान भोलूराम निवासीगण ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर
13. रामरती पुत्री प्रभुदयाल पत्नी लालसिंह निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर हालाबाद ग्राम रामपुरा तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम
14. लाली पुत्री जहार सिंह पत्नी रमेश निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर हालाबाद लाडपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)
15. रामरती पुत्र जहारसिंह पत्नी कंवरसिंह निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर हालाबाद खानपुर भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर
16. निर्मला पुत्री जहारसिंह पत्नी सुनील निवासी ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर हालाबाद पिथनवास तहसील व जिला रेवाडी
17. रोहताश पुत्र जहारसिंह निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर
18. रामरती पत्नी सुभाष निवासी ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर
19. इन्दू पत्नी रामपाल निवासी ग्राम करीरीवास जाति अहीरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर
20. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा तिजारा जिला अलवर


उपखण्ड अधिकारी


दावा तकासमा मय हुकमइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित -

- 01. वादी
 - 02. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व 13
 - 03. प्रतिवादी संख्या 19
- श्री चिरंजीलाल चावडा एडवोकेट
 - अमित कुमार एडवोकेट
 - अरविन्द कुमार यादव व विनोद कुमार यादव एडवोकेट

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुकमइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2140/1.43, 546/0.34, 46/1.19, 779/0.25, 780/0.29, 1148/1.90, 1668/1.54, 1843/0.25, 1844/0.65, 1852/0.78, 1856/0.49, 1857/0.47, 1917/1.27, 1923/0.29 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 9.37 है0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है। विवादित आराजी मिन वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर मिन वादी व प्रतिवादीगण शामलात में काबिज-काश्त है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2140/1.43 है0 में मिन वादी का 1/4 हिस्सा निहित है तथा उक्त आराजी में मिन वादी के भाई/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता/पति बसन्ता का 1/4 हिस्सा निहित था जिसने अपने 1/4 हिस्से का बेचान प्रतिवादियां संख्या 13 रामरती को कर दिया था। एवं शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्रतिवादीगण का निहित है। आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 0.34 है0 में मिन वादी का 1/4 हिस्सा निहित है एवं शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्रतिवादीगण का निहित है। एवं शेष आराजी खसरा नम्बर 46/1.19, 779/0.25, 780/0.29, 1148/1.90, 1668/1.54, 1843/0.25, 1844/0.65, 1852/0.78, 1856/0.49, 1857/0.47, 1917/1.27, 1923/0.29 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 9.37 है0 में मिन वादी का 1/2 हिस्सा निहित है एवं शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्रतिवादीगण का निहित है। मिन वादी का मौके पर वास्तविक कब्जा है व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद है। प्रतिवादीगण का जमाबन्दी अनुसार हिस्सा निहित है। मिन वादी मुताबिक जमाबन्दी अपने हिस्से पर काबिज व दाखिल है। मिन वादी एवं प्रतिवादीगण ने आज तक कोई लिखित रूप से विवादित आराजी का कोई बंटवारा नहीं किया है तथा विवादित आराजी पर काबिज एवं दाखिल चला आ रहा है मिन वादी का मौके पर वास्तविक कब्जा है व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद है। मिन वादी एवं प्रतिवादीगण अर्सा दराज से शामलात में मौके पर विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल है। वादी एवं प्रतिवादीगण का आज तक लिखित रूप में विवादित आराजी का कोई वंटवारा नहीं हुआ है राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज एवं दाखिल चले आ रहे है। विवादित आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह-खातेदार का हिस्सा है। मिन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।


 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रागन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, 13 व 19 ने अपना इकवाल जवाब पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण तागील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अगल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 20 व 21 फोरमल पक्षकार हैं कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब राखकार बन्द किया गया। उपस्थित उभयपक्षकारान ने वाद को प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 05-10-2020 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा रकीम तैयार कर रिपोर्ट कुरे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांक: भूअ./2022/319 दिनांक 10-02-2022 के द्वारा प्रकरण में कुरे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। उक्त कुरे रिपोर्ट पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। कुरे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी फाईनल डिकी किया जाता है निम्न अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 2140/1.43, 546/0.34, 46/1.19, 779/0.25, 780/0.29, 1148/1.90, 1668/1.54, 1843/0.25, 1844/0.65, 1852/0.78, 1856/0.49, 1857/0.47, 1917/1.27, 1923/0.29 हैं कुल किता 12 कुल रकवा 9.37 है 0 वाके ग्राम ईशरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकवा
01.	दयाराम पुत्र लक्ष्मण जाति अहीर सा. देह खातेदार	46	1.19
		779	0.25
		780	0.29
		1843	0.25
		1844	0.65
		1852	0.78
		1856	0.49
		1857	0.47
			किता 9
02.	राजू पुत्र व कविता मन्जू सुमन पुत्रीयान व कमला पत्नी बसन्ता जाति अहीर सा. देह खातेदार	1668	1.54
		1148	1.90
		1923	0.29
		किता 3	3.73
03.	इन्दू पत्नी रामपाल 850/3400 हि० जाति अहीर सा. करीरीबास तह. कोटकासिम दयाराम पुत्र लक्ष्मण 850/3400 हि० रामरती पत्नी	546	0.34


उपरवण्ड अधिकारी

	पुनः 1250/3400 हि० रोहिताश पुत्र जाहर सिंह 607/3400 हि० जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन रोहिताश बी.आर.के.जी.बी. ईशरोदा		
04	दयाराम पुत्र लक्ष्मण 5875/12700 हि० राजू पुत्र व कविता मन्जू सुमन पुत्रीयान व कमला पत्नी बसन्ता 6825/12700 हि० अहीर सा. देह खातेदार	1917	1.27
05	गंगासिंह झूथर मांगेलाल पि० भोलूराम 2382/14300 हि० कृष्णा पत्नी सत्यवान 1192/14300 धनकौर पत्नी परसराम 1192/14300 परसराम पुत्र कुडियाराम 1192/14300 सत्यवान पुत्र कुडियाराम 1192/14300 राजू पुत्र व कविता मन्जू सुमन पुत्रीयान व कमला पत्नी बसन्ता 3575/14300 जाति अहीर सा. देह रामरती पत्नी लालसिंह 1375/14300 जाति अहीर सा. रामपुरा तहसील मानेसर जिला गुडगांवा खातेदार राहिन मांगेलाल पी.एन.बी. तिजारा	2140	1.43

तकसीम शुद्धा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावे।
 र्चा डिक्री जारी हो।
 आदेश सुनाया गया।


 (महेन्द्र सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी,
 तिजारा (अलवर)
 उपखण्ड अधिकारी
 तिजारा (अलवर)